रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032024-252671 CG-DL-E-06032024-252671

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1034]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2024/फाल्गुन 16, 1945

No. 1034]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2024/PHALGUNA 16, 1945

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली. 5 मार्च. 2024

का.आ. 1085(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, यह निदेश देते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के प्रशासक, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए और अगले आदेशों तक, उक्त संघ राज्य क्षेत्र के भीतर, कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 23 के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

> [फा. सं. यू-11020/1/2023-यूटीएल] आश्तोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2024

S.O. 1085(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of the Union territory of Chandigarh shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the State Government under section 23 of the Family Courts Act, 1984 (66 of 1984) within the said Union territory.

[F. No. U-11020/1/2023-UTL] ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

1570 GI/2024